उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन / शक्ति भवन विस्तार

14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या: 1449 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2023–3(11) / मा0सं0(04) / 2017(Vol-II) दिनांक 18.09.2023

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.08.2023 को सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या–217.23 में लिए गये निर्णय के अनुपालन में वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 10 / 2022 / आई / 178180 / 2022 / फा0नं0–10–19099 / 32 / 2022–22 दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त / मृत कर्मचारियों / पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त (दिव्यांग) सन्तान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी व्यवस्था / प्राविधान निर्गत किये गये हैं, को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की सेवाओं में यथावत् / सम्पूर्णता में एतद्द्वारा अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1449 / मा0सं0(04) / उ0नि0लि0 / 2023 / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन / तकनीकी / वित्त / परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर / निजी सचिव।
4. मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / जवाहरपुर / पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) / कासिमपुर (अलीगढ) / मलावन (एटा) / पनकी (कानपुर)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II), मा0सं0 / पर्यावरण एवं सुरक्षा / ईंधन / जानपद–नव परियोजनायें / तापीय परिचालन / नवीनीकरण एव आधुनिकीकरण / वाणिज्य, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / II), न्यू कोल ब्लाक / प्रगति / पी0पी0एम0एम0, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की सम्पन्न 217वीं बैठक के एजेण्डा आईटम संख्या–217.23 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0 / 46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. उप महाप्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06) / (रिफार्म) / (टाण्डा वाइंडिग एवं संसदीय कार्य) / (प्रशिक्षण) / (तापीय परिचालन) / (जानपद) / (औ0सं0) / (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक / उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा / अनपरा / पारीछा / हरदुआगंज / जवाहरपुर / पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ओबरा / अनपरा (सोनभद्र) / पारीछा (झाँसी) / कासिमपुर (अलीगढ) / मलावन (एटा) / पनकी (कानपुर)।
11. कट फाइल।

आज्ञा से,

18/9/23

(तरूण कुमार जैन)

अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

संख्या-10/2022 /आई/178180/2022/फा0सं0-10-19099/32/2022-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2022

विषय- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदण्ड के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-3-1155/दस-2/81, दिनांक 06 अगस्त,1981, शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81टी0सी0, दिनांक 12 नवम्बर, 1997 एवं शासनादेश संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016/308/97, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 निर्गत किये गये हैं।

2- उपरोक्त शासनादेशों में मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के सम्बन्ध में आय के मानदण्ड का उल्लेख नहीं है।

3- सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों/पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त (विकलांग) संतान को पारिवारिक पेंशन की देयता के लिए आय के मानदंण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/17/2019-पी एंड पी डब्ल्यू (ई), दिनांक 08 फरवरी, 2021 के पैरा-5 में एवं 6 में दी गयी व्यवस्था निम्नवत् है:-

"5. उक्त के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक नि:शक्तता से ग्रस्त बच्चा/सहोदर, जीनवपर्यन्त कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि नि:शक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, जैसा कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित है। यह माना जाएगा कि ऐसा बच्चा अपनी जीविका उपार्जन नहीं करता है, यदि कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर, साधारण दर पर देय कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत से कम है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with CamScanner

4- तदनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ऐसा बच्चा/सहोदर, जो मानसिक या शरीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है, जीवनपर्यन्त कुटुंब पेंशन पाने का पात्र होगा, यदि वह अन्यों के साथ निम्न शर्तों को पूरा करता है:-

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(ii) कुटुंब पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से निःशक्त बच्चे की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य कुटुंब पेंशन (अर्थात् मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत) और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है।

6- ऐसे मामलों में, जहां पूर्व आय मानदंड को पूरा न करने के कारण, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त किसी बच्चे/सहोदर को वर्तमान में कुटुंब पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसे बच्चे/सहोदर को कुटुंब पेंशन दी जा सकती है, यदि वह उपरोक्त आय मानदंड को पूरा करता है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पूर्व कुटुंब पेंशनभोगी की मृत्यु के समय कुटुंब पेंशन करने की अन्य शर्तों को भी पूरा करता है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से देय होगा और सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी/ पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।"

4- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08 फरवरी, 2021 में दी गयी उपरोक्त व्यवस्था के अनुसरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त संतान जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र होगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि निःशक्तता ऐसी प्रकृति की है, जिसके कारण वह अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है, जैसा कि सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र से साक्ष्यित है। यह माना जाएगा कि ऐसी संतान अपनी जीविका उपार्जन नहीं करता/करती है, यदि पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से उसकी कुल आय सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी के दिवंगत होने पर, साधारण दर पर देय पारिवारिक पेंशन और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है।

तदनुसार, दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का ऐसी संतान, जो मानसिक या शरीरिक निःशक्तता से ग्रस्त है, जीवनपर्यन्त पारिवारिक पेंशन पाने का पात्र होगा/होगी, यदि वह अन्यों के साथ निम्न शर्तों को पूरा करता/करती है:-

(i) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

(ii) पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्त्रोतों से निःशक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन (अर्थात् मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन का 30 प्रतिशत) और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है।

ऐसे मामलों में, जहां पूर्व आय मानदंड को पूरा न करने के कारण, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त किसी संतान को वर्तमान में पारिवारिक पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसी संतान को

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with CamScanner

पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है, यदि वह उपरोक्त आय मानदंड को पूरा करता है और सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पूर्व पारिवारिक पेंशनभोगी की मृत्यु के समय पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अन्य शर्तों को भी पूरा करता है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से देय होगा और सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी/पूर्व पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकार्य नहीं होगा।

5- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थाएं/शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

Scanned with CamScanner